पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
138/2015	07.07.2015	03-10-2016

अनुवान

1. तेजराम पुत्र श्री चुन्नाराम कोम अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
वो हुक्मईम्तनाई दवामी अंतर्गत
धारा 88, 89, 188 राज0टी0ऐ0 1955

उपस्थित:–

1. श्री डीसीयादव अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। वादी के विवादित आराजी हाल ख0न0 556/994 रकबा 0–07, 579/0–12 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर का राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को हुकमईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी उक्त से वादी को बेदखल न करे, ना धारा 91 राज0भू0राज0अधि0 या अन्य कोई कार्यवाही करे, ना आराजी को दीगर लोगों को आवन्टित करे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर न्यायालय से जारी की जाती है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
138 / 2015	07.07.2015	03-10-2016

अनुवान

1. तेजराम पुत्र श्री चुन्नाराम कोम अहीर निवासी खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:— प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
वो हुक्मईम्तनाई दवामी अंतर्गत
धारा 88, 89, 188 राज0टी0ऐ0 1955

उपस्थितः—
1. श्री डीसीयादव अधिवक्ता वादी

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्मईम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज0टी0ऐ0 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादी की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये कि विवादित आराजी ख.0 न0 556 / 994 रकबा 0—07, 579 / 0—12 बिस्वा वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर मुझ वादी को भू—आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 24.7.76 को आवंटित की गई थी तथा मौका पर दखल 8.07.77 को दिया गया था तब से लगातार आज तक मिन वादी शान्तीपूर्वक व लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। मौका पर वादी का वास्तविक कब्जा हैं। विवादित आराजी पर मिन वादी बहेसियत गैरखातेदार काबिज वो दखील हैं। प्रतिवादी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 भू— राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

56 के तहत कार्यवाही कर नोटिस दिया गया था जिसका मिन वादी ने विस्तृत जवाब मय दस्तावेजात प्रतिवादी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया और प्रतिवादी ने दिनांक 15.3.2012 को आदेश पारित करते हुये आराजी का गैरखातेदारी का अमल वादी के नाम करने की आज्ञा पारित कर नोटिस कार्यवाही ड्रोप की थी। प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश 15.03.2012 की अनुपालना में आज तक वादी के नाम गैरखातेदारी का अमल नहीं किया गया हैं, ना ही इस आदेश के विरूद्व सक्षम अदालत में कोई अपील की गई, ना ही किसी सक्षम न्यायालय से आदेश निरस्त हुआ हैं, बल्कि फोर्स में हैं व अपील की अवधि भी समाप्त हो चुकी हैं। इसलिये वादी स्वंय को विवादित आराजी का गैरखातेदारी करार दिलाने व इसी कदर हाल जमाबंदी में अपने नाम का अमल कराने का अधिकारी है। माह जून 2015 में प्रतिवादी के अधिकृत कर्मचारी पटवारी हल्का ने वादी को बेदखल करने व कार्यवाही धारा 91 भू राज0 अधि0 के तहत करने की धमकी दी । इसलिये वादी को बिना देरी अपने अधिकारो की रक्षा हेतु वाद प्रस्तुत कना लाजिम आया हैं । प्रतिवादी को वाद दायरी से पूर्व नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा. दी. मियादी दो माह दिया जाना कानूनन आवश्यक हैं किन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का है इसलिये बिना नोटिस दिये वाद पेश किया है। रफाऐ उज्रात प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जा. दी. पेश किया है। वाद हेतु बिनायदवामी वो बिनाय मुखासमत दिनांक 28.06.2015 को पैदा हुई, जबकि पटवारी हल्का ने बेदखल करने व कार्यवाही करने बाबत कहा। जिससे वाद साधारणतया अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः– प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रति0 डिक्री किया जावे।

अः– कि वादी हाल ख0 न0 556/994, 579/0–12 बिस्वा वाके ग्राम खानपुरअहीर तहसील कोटकासिम का गैरखातेदार है व इसी कदर हाल जमाबंदी में वादी के नाम का अमल कराया जावे। बः– कि प्रति0 को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे कि वो आराजी उक्त से वादी को बेदखल न करे, ना धारा 91 राज0 भू. राज. अधि. या अन्य कोई कार्यवाही करे, ना आराजी को दीगर लोगों को आवंटित करे। सः– अन्य सहायता जो नजदीक अदालत , हो वादी को अता फरमाई जावे। कृपा होगी।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये नोटिस सुनवाई का अवसर दिया गया।

प्रतिवादी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया कि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। नियमन के लिऐ नियम बने हुऐ है वादी सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड के साथ नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करे। राजकीय हित है। वाद वादी खारिज योग्य है। वादी के द्वारा नकल दखलनामा आवन्टित आराजी का, नकल निर्णय न्यायालय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

...सीलदार कोटकासिम दिनांक 15.03.2012, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 प्रस्तुत किए साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू 1 तेजराम का शपथपत्र पेश किया गया।

प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मुझ वादी को भू–आवन्टन कमेटी द्वारा दिनांक 24.07.1976 को आवन्टित की गई थी तथा मौके पर दखल 08.07.1977 को दिया गया था तब से लगातार आज तक मिन वादी शान्तीपूर्वक व लगातार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौका पर वादी का वास्तविक कब्जा है। तहसील न्यायालय कोटकासिम प्रतिवादी ने दिनांक 15.03.2012 को आदेश पारित करते हुऐ आराजी का गैरखातेदारी का अमल वादी के नाम करने की आज्ञा भी पारित कर नोटिस कार्यवाही ड्रोप की थी। प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश 15.03.2012 की अनुपालना में आज तक वादी के नाम गैरखातेदारी का अमल नहीं किया गया है ना ही इस आदेश के विरुद्ध सक्षम अदालत में कोई अपील की गई, ना ही किसी सक्षम न्यायालय से ओदश निरस्त हुआ है, बल्कि फोर्स में है व अपील की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसलिये वादी स्वंय को विवादित आराजी का गैरखातेदारी करार दिलाने व इसी कदर हाल जमाबंदी में अपने नाम का अमल कराने का अधिकारी है। वादी को हाल ख0नं0 556/994 रकबा 0–07, 579/0–12 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम का गैरखातेदार हाल जमाबंदी में वादी के नाम का अमल कराया जावे। प्रति0 को बेदखल न करे, ना धारा 91 राज0 भू राज0 अधि0 या अन्य कोई कार्यवाही करे, ना आराजी को दीगर लोगों को आवटित करे।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश किये रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी वादी को आवन्टन होकर मौके पर दखल पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8.07.1977 को दिया जाना नकल दखलनामा से साबित है। जो पटवारी हल्का की घटना बही क्रमांक 74 दिनांक 8.07.1977 से साबित है। दखलनामा सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। तहसीलदार के द्वारा दिनांक 15.03.2012 को भी वादी को गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेंश पारित है। उक्त प्रकार विवादित आराजी वादी को आवन्टन होना साबित है। तहसीलदार द्वारा स्वय के न्यायालय के आदेश निांक 15.03.2012 की पालना नहीं की गई। जो की जानी चाहिऐ थी। वादी को गैरखातेदारी दर्ज करने से किसी दीगर न्यायालय की कोई रुकावट होने का कोई उल्लेख तहसीलदार ने इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। तहसीलदार कोटकासिम के द्वारा जवाब में अंकित तथ्य व तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2012 में भिन्नता का कोई उचित

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रण भी नहीं बताया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में नियमन कराये जाने बाबत पेश किया गया। जबकि वादी को आवन्टन/नियमन कमेटी द्वारा ही विवादित भूमि का आवन्टन किया है। पुनः नियमन हेतु जवाब पेश करने से लगता है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण के रिकार्ड का भलिभांति अवलोकन का अभाव रहा है। तो ऐसी स्थिति में वादी को गैरखातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। वादी के विवादित आराजी हाल ख0न0 556/994 रकबा 0–07, 579/0–12 बिस्वा वाके ग्राम खानपुरअहीर तहसील कोटकासिम जिला अलवर का राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को हुकमईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी उक्त से वादी को बेदखल न करे, ना धारा 91 राज0भू0राज0अधि0 या अन्य कोई कार्यवाही करे, ना आराजी को दीगर लोगों को आवन्टित करे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03-10-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner